**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या: *295**

**दिनांक 07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाओं की स्थिति**

***295. डॉ. राजकुमार सांगवान:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाओं की राज्य-वार और संघटक-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देश में उक्त परियोजनाओं की प्रगति के साथ-साथ अब तक स्वीकृत, जारी की गई और उपयोग में लाई गई निधियों का राज्य-वार विशेषकर बागपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा परियोजनाओं के प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन के लिए राज्यों के साथ समन्वय को सुदृढ़ करने और उनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) मिशन की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री**

**(श्री जगत प्रकाश नड्डा)**

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**दिनांक 07 अगस्त, 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *295 के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) से (घ): प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) के घटक शामिल हैं। जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी, जन स्वास्थ्य कार्य और स्वास्थ्य अनुसंधान को एकीकृत करने वाले सुधारों के माध्यम से भारत की जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करना है, जिससे महामारी तथा अन्य जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की जन स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता में वृद्धि हो सके।

योजना के सीएसएस घटक के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 11001 भवन-रहित उप स्वास्थ्य केंद्र–आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एसएचसी-एएएम), 5456 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (यू-एएएम), 2151 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाईयों (बीपीएचयू), 744 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) तथा 631 गहन परिचर्या ब्लॉकों (सीसीबी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण और स्थापना के लिए 32,961.10 करोड़ रुपये की राशि हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विस्तृत स्थिति अनुलग्नक-I में दी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, बागपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत 2375 लाख रुपये की लागत से एक गहन परिचर्या ब्लॉक (सीसीबी), 125 लाख रुपये की लागत से एक एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (आईपीएचएल) तथा 323.84 लाख रुपये की लागत से चार ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाईयों (बीपीएचयू) को अनुमोदन प्रदान किया गया है। उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए 2,823.84 लाख रुपये का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसकी तुलना में 1,802.74 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं तथा राज्य द्वारा 1,787.52 लाख रुपये के व्यय की सूचना दी गई है।

पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुमोदित कार्यकलापों के आधार पर एकमुश्त निधियां जारी की जाती हैं, जिससे वे अपनी आकलित आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार इन निधियों का उपयोग कर सकते हैं। पीएम-एबीएचआईएम के प्रारंभ से अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गत और व्यय का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं और इस योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत निगरानी एक सुदृढ़, बहु-स्तरीय ढाँचे के माध्यम से की जाती है, जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एनपीसीसी बैठकों के दौरान अनुमोदित लक्ष्यों की तुलना में राज्य-वार प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें तथा आउटपुट–आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) के माध्यम से प्रदर्शन का नियमित आकलन शामिल है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) कार्यक्रम के कार्यान्वयन, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण और प्रमुख संकेतकों पर प्रगति का स्वतंत्र एवं जमीनी स्तर का आकलन प्रदान करते हैं, जिससे कमियों की पहचान, सुधारात्मक कदम उठाने तथा राज्य एवं जिला स्तर पर जवाबदेही को सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है।

**अनुलग्नक-I**

**पीएम-एबीएचआईएम के सीएसएस घटक के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत इकाईयों, चल रहे कार्यों तथा कार्यशील इकाईयों का विवरण**

**क. भवन-रहित उप स्वास्थ्य केंद्र–आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एसएचसी-एएएम)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अनुमोदित इकाईयां | प्रगति पर कार्य (कार्यशील) |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 696 | 285 (8) |
| 2 | असम | 768 | 310 (389) |
| 3 | बिहार | 2546 | 1257 (225) |
| 4 | झारखंड | 893 | 144 (744) |
| 5 | कर्नाटक | 530 | 375 |
| 6 | मणिपुर | 64 | 27 (36) |
| 7 | मेघालय | 251 | 75 (96) |
| 8 | ओडिशा | 604 | 196 (376) |
| 9 | राजस्थान | 2518 | 594 (948) |
| 10 | उत्तर प्रदेश | 1670 | 142 (1416) |
| 11 | पश्चिम बंगाल | 461 | 230 (112) |

**ख. शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यू-एएएम)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अनुमोदित इकाईयां | प्रगति पर कार्य (कार्यशील) |
|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 4 | 4 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 45 | 0 (45) |
| 3 | चंडीगढ़ | 19 | 0 (19) |
| 4 | दिल्ली | 1139 | 109 (244) |
| 5 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 4 | 0 (4) |
| 6 | गुजरात | 410 | 0 (410) |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 38 | 0 (29) |
| 8 | जम्मू और कश्मीर | 79 | 3 (55) |
| 9 | कर्नाटक | 817 | 0 (757) |
| 10 | मणिपुर | 3 | 0 (0) |
| 11 | मिजोरम | 1 | 0 (1) |
| 12 | ओडिशा | 140 | 0 (140) |
| 13 | पुडुचेरी | 32 | 0 (29) |
| 14 | राजस्थान | 639 | 0 (456) |
| 15 | तमिलनाडु | 708 | 0 (708) |
| 16 | तेलंगाना | 500 | 0 (473) |
| 17 | उत्तर प्रदेश | 674 | 0 (500) |
| 18 | पश्चिम बंगाल | 204 | 117 (20) |

**ग. ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाईयां (बीपीएचयू)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अनुमोदित इकाईयां | प्रगति पर कार्य (कार्यशील) |
|---|---|---|---|
| 1 | असम | 207 | 93 (78) |
| 2 | बिहार | 158 | 59 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 91 | 50 (41) |
| 4 | हिमाचल प्रदेश | 73 | 68 |
| 5 | जम्मू और कश्मीर | 287 | 267 (20) |
| 6 | झारखंड | 165 | 96 (44) |
| 7 | मध्य प्रदेश | 196 | 104 (92) |
| 8 | ओडिशा | 197 | 62 (130) |
| 9 | राजस्थान | 184 | 43 (141) |
| 10 | उत्तर प्रदेश | 515 | 68 (417) |
| 11 | उत्तराखंड | 78 | 55 (20) |

## घ. एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ (आईपीएचएल)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अनुमोदित इकाईयां | प्रगति पर कार्य (कार्यशील) |
|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 3 | 1 (2) |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 26 | 12 (14) |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 22 | 17 (5) |
| 4 | असम | 33 | 9 (10) |
| 5 | बिहार | 38 | 38 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1 | (1) |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 28 | 11 (17) |
| 8 | दिल्ली | 11 | 11 (0) |
| 9 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 3 | (3) |
| 10 | गोवा | 2 | (2) |
| 11 | गुजरात | 33 | 23 (7) |
| 12 | हरियाणा | 22 | (22) |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 12 | 12 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 20 | 17 (3) |
| 15 | झारखंड | 24 | 11 (6) |
| 16 | कर्नाटक | 31 | 14 (17) |
| 17 | केरल | 14 | 7 (7) |
| 18 | लद्दाख | 2 | (2) |
| 19 | लक्षद्वीप | 1 | (1) |
| 20 | मध्य प्रदेश | 55 | 26 (29) |
| 21 | महाराष्ट्र | 36 | 14 (22) |
| 22 | मणिपुर | 15 | 13 (2) |
| 23 | मेघालय | 10 | 9 (1) |
| 24 | मिजोरम | 10 | 3 (7) |
| 25 | नागालैंड | 11 | 9 (2) |
| 26 | ओडिशा | 30 | 13 (15) |
| 27 | पुडुचेरी | 4 | (4) |
| 28 | पंजाब | 22 | 14 (8) |
| 29 | राजस्थान | 33 | 24 (9) |
| 30 | सिक्किम | 3 | (3) |
| 31 | तमिलनाडु | 38 | 5 (33) |
| 32 | तेलंगाना | 33 | 2 (31) |
| 33 | त्रिपुरा | 7 | 5 (2) |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 75 | 14 (53) |
| 35 | उत्तराखंड | 13 | 8 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 23 | 17 (6) |

ङ. गहन परिचर्या ब्लॉक (सीसीबी)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अनुमोदित इकाईयां | प्रगति पर कार्य (कार्यशील) |
|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1 | 1 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 24 | 24 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 |
| 4 | असम | 27 | 18 |
| 5 | बिहार | 38 | 35 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1 | 0 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 23 | 21 |
| 8 | दिल्ली | 9 | 0 |
| 9 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 1 | (1) |
| 10 | गोवा | 2 | 0 |
| 11 | गुजरात | 32 | 25 (3) |
| 12 | हरियाणा | 22 | 8 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 9 | 8 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 10 | 9 |
| 15 | झारखंड | 23 | 22 |
| 16 | कर्नाटक | 34 | 27 (4) |
| 17 | केरल | 14 | 11 |
| 18 | मध्य प्रदेश | 50 | 42 (8) |
| 19 | महाराष्ट्र | 36 | 36 |
| 20 | मणिपुर | 2 | 2 |
| 21 | मेघालय | 3 | 3 |
| 22 | मिजोरम | 1 | 1 |
| 23 | नागालैंड | 1 | 1 |
| 24 | ओडिशा | 28 | 20 (6) |
| 25 | पुडुचेरी | 4 | 4 |
| 26 | पंजाब | 22 | 22 |
| 27 | राजस्थान | 38 | 32 (1) |
| 28 | सिक्किम | 1 | 1 |
| 29 | तमिलनाडु | 39 | 22 (15) |
| 30 | तेलंगाना | 31 | 21 (9) |
| 31 | त्रिपुरा | 2 | 1 |
| 32 | उत्तर प्रदेश | 74 | 63 |
| 33 | उत्तराखंड | 5 | 4 |
| 34 | पश्चिम बंगाल | 23 | 22 |

**अनुलग्नक-II**

**प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत स्थापना से अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गत और व्यय**

**(करोड़ रुपये में)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | | 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | केंद्रीय निर्गत | व्यय | केंद्रीय निर्गत | व्यय | केंद्रीय निर्गत | व्यय | केंद्रीय निर्गत | व्यय | केंद्रीय निर्गत | व्यय |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 1.57 | 6.77 | 2.76 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 3.75 | 0.00 | 15.76 | 6.25 | 35.78 | 28.85 | 39.07 | 65.16 | 59.32 | 98.86 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0.56 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 8.83 | 2.25 | 1.05 | 2.44 | 0.88 | 0.98 |
| 4 | असम | 57.90 | 0.00 | 2.26 | 1.16 | 91.45 | 68.45 | 159.61 | 177.34 | 164.17 | 209.85 |
| 5 | बिहार | 125.86 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 50.69 | 15.92 | 185.61 | 76.85 | 128.08 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 1.73 | 10.38 | 5.83 | 5.13 | 6.34 | 5.13 | 8.75 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 11.25 | 0.00 | 1.34 | 11.01 | 32.23 | 19.64 | 18.63 | 31.05 | 32.78 | 55.33 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.28 | 0.21 | 0.53 | 0.51 | 7.18 | 1.02 |
| 9 | दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.85 | 7.09 |
| 10 | गोवा | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.10 | 0.21 | 0.61 | 1.06 |
| 11 | गुजरात | 0.00 | 0.00 | 29.54 | 32.24 | 46.04 | 56.13 | 79.38 | 146.63 | 100.52 | 167.54 |
| 12 | हरियाणा | 11.06 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 17.67 | 16.63 | 36.00 | 88.63 | 19.19 | 32.73 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 28.05 | 9.98 | 15.69 | 15.27 | 44.81 | 52.92 | 93.27 | 103.63 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 16.11 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 44.01 | 36.67 | 60.44 | 63.71 | 49.69 | 89.56 |
| 15 | झारखंड | 44.70 | 0.00 | 183.04 | 240.87 | 102.27 | 454.05 | 65.27 | 289.16 | 89.02 | 148.37 |
| 16 | कर्नाटक | 11.25 | 0.00 | 37.10 | 18.75 | 100.57 | 104.47 | 118.91 | 198.19 | 199.75 | 332.91 |
| 17 | केरल | 3.75 | 0.00 | 24.89 | 4.72 | 0.00 | 36.66 | 24.58 | 36.15 | 26.45 | 44.08 |
| 18 | लद्दाख | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.31 | 0.62 | 0.62 | 1.03 | 0.93 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.51 | 0.32 | 0.29 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 22.85 | 0.00 | 98.70 | 99.43 | 228.52 | 300.93 | 63.19 | 295.14 | 130.42 | 227.36 |
| 21 | महाराष्ट्र | 17.45 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 31.76 | 34.47 | 65.48 | 86.82 | 221.13 | 368.56 |
| 22 | मणिपुर | 4.56 | 0.00 | 10.92 | 4.56 | 13.78 | 16.89 | 5.74 | 21.20 | 8.77 | 13.37 |
| 23 | मेघालय | 9.65 | 0.00 | 43.28 | 8.80 | 4.42 | 28.02 | 10.50 | 27.34 | 23.03 | 25.12 |
| 24 | मिजोरम | 0.28 | 0.00 | 1.52 | 0.27 | 4.52 | 1.32 | 3.82 | 7.27 | 2.05 | 4.23 |
| 25 | नागालैंड | 0.28 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 4.42 | 0.60 | 0.00 | 1.71 | 3.30 | 6.57 |
| 26 | ओडिशा | 32.15 | 0.00 | 211.46 | 258.55 | 171.58 | 423.43 | 149.05 | 248.42 | 137.19 | 228.65 |
| 27 | पुडुचेरी | 0.42 | 0.00 | 0.19 | 0.62 | 2.67 | 2.88 | 2.50 | 4.28 | 9.00 | 13.76 |
| 28 | पंजाब | 0.00 | 0.00 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 8.92 | 45.33 | 71.66 | 119.44 |
| 29 | राजस्थान | 45.37 | 0.00 | 83.59 | 108.50 | 173.06 | 280.43 | 157.76 | 262.93 | 189.31 | 315.51 |
| 30 | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.26 | 3.88 | 2.05 | 1.67 | 3.74 | 4.90 | 5.54 |
| 31 | तमिलनाडु | 17.45 | 29.08 | 150.42 | 183.35 | 279.36 | 389.37 | 224.99 | 512.33 | 172.51 | 283.44 |
| 32 | तेलंगाना | 11.25 | 0.00 | 53.88 | 83.75 | 95.21 | 141.73 | 208.82 | 348.04 | 151.12 | 251.87 |
| 33 | त्रिपुरा | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.38 | 2.48 | 1.43 | 2.12 | 2.94 | 3.57 | 3.83 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 124.63 | 0.00 | 173.71 | 254.04 | 247.96 | 252.69 | 400.95 | 544.74 | 211.88 | 511.46 |
| 35 | उत्तराखंड | 1.56 | 0.00 | 32.31 | 1.60 | 0.00 | 16.35 | 26.89 | 31.07 | 33.88 | 37.65 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 30.91 | 49.78 | 78.40 | 92.35 | 91.42 | 152.37 |

**नोट:**

1. **उपरोक्त निर्गत केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इनमें राज्य अंशदान शामिल नहीं है।**
2. **व्यय में केंद्रीय निगत, राज्य निर्गत तथा वर्ष के प्रारंभ में अप्रयुक्त शेष राशि के विरुद्ध किया गया व्यय शामिल है।**
3. **व्यय राज्य द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और यह अनंतिम है।**

*****